<u>प्रकरण संख्या 17/2024 दुर्गाशंकर बनाम इन्दरलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जसवन्तगढ़, तहसील गोगुन्दा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात स्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा उसमें वर्णित अनुसार है एवं इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकि विपक्षीगण संख्या बल में अधिक होने से प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.06.2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 27.06.2024 को उक्त जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गिरजा शंकर मेहता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा मौके पर पक्षकारान अलग–अलग हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, किन्तु विधिवत विभाजन नहीं होने से विपक्षीगण/रेस्पोन्डेन्टगण मौके पर आकर लड़ाई–झगड़ा करते हैं इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट के पक्ष में होने से यदि रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी, लेकिन अधीनस्थ [illegible] ने इस ओर कोई ध्यान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.06.2024 अपास्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी की है तथा उसका विधिवत विभाजन होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। विधि अनुसार सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RBJ 2019 Page 301, RBJ 2002 Page 130, RRT 2004 (1) Page 365, RBJ 2002 Page 283 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि पक्षकारान रेकार्डेड सहखातेदार हैं सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर RBJ 2019 Page 301, RBJ 2002 Page 130, RRT 2004 (1) Page 365, RBJ 2002 Page 283 में प्रतिपादित किया गया है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार होने या न होने बाबत् कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया है, किन्तु मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त करने का आदेश दिया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 41/2024 निर्णय दिनांक 27.06.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested